

फानून गया भाड़ में वकील एकता जिन्दाबाद इसे लोकतंत्र कहें या भीड़तंत्र?

गुडगांव (विशेष संवाददाता) दिनांक 14 अक्टूबर समय करीब 11.15 दिल्ली से गुडगांव की ओर आने वाली सड़क पर पीपल वाला चौक के पास रोजमर्रा की तरह भारी ट्रैफिक जाम था। जाम में सबसे पीछे आकर खड़ी हुई एक कार नं. डी.एल.-9 सीएस-2647 में बैठे दिलबाग सिंह व उनकी पत्नी पूनम को सबसे पीछे खड़े रहना और अपनी बारी आने पर निकलना मंजूर नहीं था।

उन्होंने फुर्ती से अपनी गाड़ी को उल्टी दिशा यानी कि गुडगांव से दिल्ली जाने वाली सड़क पर डल दिया और जाम में सबसे आगे जाकर लगाने का प्रयास किया। उनके इस प्रयास पर जब वहां मौजूद ट्रैफिक सिपाही चांदराम ने रोका टोका तो कहासुनी हो गयी जो शीघ्र ही धक्का-मुक्की में बदल गयी।

इसे देखकर कुछ दूरी पर मौजूद पुलिस के अन्य सिपाही अपने साथी की मदद को आ गए। ज्यादा सिपाहियों को आता देख दिलबाग ने वहां से जैसे-तैसे निकलने में ही भलाई समझी लेकिन देख लेने की धमकी जरूर देता गया। इससे करीब एक

घंटे बाद कचहरियों के निकट स्थित सोहना रोड यानी राजीव चौक को वकीलों ने जाम कर दिया।

इसे खुलवाने पहुंचे थाना शहर व सिविल लाइन के थाना अध्यक्षों व एसीपी राजेश दुग्गल के साथ वकीलों ने धक्का-मुक्की व हाथापाई शुरू कर दी। एसीपी की गाड़ी पर लगी नीली बत्ती को तोड़कर आग के हवाले कर दिया गया। मौके पर पहुंची पीसीआर नं. 17 जिप्सी के टॉयरो की हवा निकाल दी गई। पुलिस फोटोग्राफर हवलदार कंवर सिंह जो सफेद कपड़ों में था, बहुत बेदरती से मारापीटा तथा उसका कैमरा तोड़फोड़ दिया।

इससे भी खतरनाक काम यह हुआ कि सोहना रोड पर लगे इस जाम में पुलिस की दो गाड़ियां भी फंस गयीं जो जेल से कैदियों को अदालतों में पेशी पर ले कर आती हैं। इन गाड़ियों में बैठे पुलिसवालों को जब वकीलों ने पीटना शुरू किया तो वे अपनी जान बचाकर कैदियों को राम भरोसे छोड़ कर भाग खड़े हुए। चश्मदीनों के अनुसार कुछ वकीलों ने तो उन कैदियों को मौके का फायदा उठाकर भाग जाने

के लिए भी उकसाया, लेकिन शुरु यह रहा कि कोई कैदी भागा नहीं। खबर लिखे जाने तक पुलिस ने ट्रैफिक सिपाही चांदराम, फोटोग्राफर कंवर सिंह, कैदियों वाली गाड़ी के ड्राइवर तथा पीसीआर-17 के ड्राइवर आदि की शिकायत पर कुल 3 मुकदमें भादसं की धारा 147, 149, 186, 332, 353, 506, 225, 228, 341 व 395 के तहत मदन सिंह चौहान, राजेन्द्र शर्मा, आनंद शर्मा, कुलदीप शर्मा, तारा चंद यादव, बाल किशन यादव व राकेश आदि के विरुद्ध दर्ज कर लिए हैं।

अब सोचने वाली बात यह है कि दसवीं पास ट्रैफिक सिपाही चांदराम जो नियमों व कानून की बात कर रहा था वह गलत था या अपने आप को पढ़ा लिखा वकील बताने वाला दिलबाग सिंह? यदि सिपाही चांदराम वहां न होता या वह किसी को भी न रोकता टोकता तो क्या होता? होता यह कि सभी लोग दिलबाग सिंह की तरह गलत साइड पर आ खड़े होते और दोनों ओर का ट्रैफिक ऐसा जाम हो जाता कि फिर सारा दिन भी न खुलता।

- शेष पेज 2 पर

न्यायपालिका एवं गृह मंत्रालय की सांठगांठ से

दोषी आईपीएस जेल से बाहर, पुनः ड्यूटी पर

फरीदाबाद (म.मो.) मजदूर मोर्चा के अंक 21 में प्रकाशित हुआ था कि किस प्रकार संजय भाटिया नामक एक व्यक्ति अनुसूचित जाति के नकली प्रमाण-पत्र के आधार पर आईपीएस बन कर हरियाणा पुलिस में एसपी आ गया।

23 वर्ष तक मुकदमा चलने के बाद उसे मात्र 100 दिन की सजा व दो लाख रुपये जुर्माने की सजा हुई थी। लेकिन बमुश्किल 15 दिन भी उसने जेल में नहीं काटे थे कि निकल कर बाहर आ गया और पुनः मधुवन (करनाल) में आ कर अपनी कुर्सी पर बैठ गया।

जैसा कि प्रकाशित किया जा चुका है कि भाटिया के वर्ष 1986 में भर्ती होते ही उसकी हेराफेरी का पता चल गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वह एसपी जैसे महत्वपूर्ण पद पर नौकरी करता रहा तथा न्यायपालिका ने उसे सजा करने में 23 वर्ष लगा दिये। लेकिन यह फ़ैसला चूंकि अभी सेशन कोर्ट से हुआ था, लिहाजा उसे हाई कोर्ट जाने के लिए जमानत मिल गई जहां अपील में पांच-सात साल और लग जायेंगे। तब तक वह बाकायदा सेवानिवृत्त हो कर पेंशन एवं अन्य सेवा लाभ भी प्राप्त कर लेगा। यदि कोई कसर रही तो समय गुजारने के लिये आगे सुप्रीम कोर्ट तो बाकी है ही। जानकार बताते हैं कि मामले की जानकारी मिलते ही हरियाणा सरकार

ने इस अधिकारी की बर्खास्तगी के लिये केंद्रीय गृह मंत्रालय को पिछले 20 वर्षों में सैंकड़ों पत्र लिख लिये, परंतु आज तक किसी भी पत्र का कोई जवाब नहीं आया।

दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्रालय किसी मेले की भीड़ से कम नहीं है जहां देश भर के तमाम आईपीएस अधिकारियों के अलावा तमाम तरह के केंद्रीय सुरक्षा बलों का बही-खाता रखा जाता है।

इस काम के लिये वहां हजारों छोटे-बड़े बाबू बैठते हैं। बस इन्हीं में से किसी एक-दो बाबू को भाटिया ने गांठ रखा है जो मामले को आगे बढ़ने ही नहीं देता। गृह मंत्रालय का यह हाल तो तब है जब पी.चिदंबरम जैसा तथाकथित तेज-तर्रार गृह मंत्री है, वरना इस मंत्रालय की क्या दुर्दशा होती होगी, समझना कठिन नहीं है।

माना कि आईपीएस अधिकारी को बर्खास्त करना केंद्रीय गृह मंत्रालय के हाथ में है, परंतु उसे राज्य सरकार द्वारा निलंबित तो किया ही जा सकता है। निलंबन के बाद राज्य उस नुकसान से तो बच ही सकता है जो वह ड्यूटी पर रह कर करता आ रहा है। लेकिन राज्य सरकार ने भी कभी यह कदम उठाने की जरूरत नहीं समझी। लगता है, भाटिया ने यहां भी कोई ठीक-ठाक सी सेटिंग कर रखी है।

सरकार किसी की भी बने

जनता को क्या फायदा होगा?

मनोज कुमार झा

इस बात से आम जनता पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि हरियाणा में किस दल की सरकार बनती है। जो भी सरकार बनेगी, वह या तो सांपनाथों की या नागनाथों की या फिर बिच्छूनाथों की होगी, जिनका एकमात्र उद्देश्य जनता को डंसना है। चुनाव प्रचार के दौरान सभी दलों के प्रत्याशियों ने आम जनता को यह कह कर बरगलाने का प्रयास किया कि 'अगर वे जीते तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे', लेकिन वे अगर चुनाव जीते तो अव्वल जनता को दर्शन ही नहीं देंगे और दिया भी तो इसके लिए काफ़ी पापड़ बेलवायेंगे। जनता का कोई काम मुफ़्त नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने टिकट खरीदने से लेकर चुनाव प्रचार तक में अच्छा-खासा खर्च किया है। अगर सत्ता में आने के बाद अथवा विधायक बनने के बाद ब्याज समेत वह

राशि वसूल नहीं की तो फिर फायदा ही क्या? उम्मीदवारों में से किसी ने टिकट करोड़ों में खरीदे तो किसी का काम लाखों में ही चल गया। जग जाहिर है कि जिस पार्टी के सत्ता में आने की संभावनायें ज्यादा हैं, उसके टिकट काफ़ी महंगे बिकें।

किसी ने जाति के आधार पर मोर्चा संभाला, तो किसी ने गरीबों में कंबल, कपड़े आदि बांट कर ही अपना वोट पक्का करने का प्रयास किया। किसी ने पूड़ी-सब्जी खिला कर गरीबों को संतुष्ट करने का प्रयास किया तो कुछ ने शराब की बोतलें ही बांटी। साथ ही अखबारों में विज्ञापन आदि देने में भी अच्छा-खासा खर्च किया। कुछ ने चंद पैसे देकर बच्चा ब्रिगेड ही बना लिया जिसका काम था गली-गली में उनके झंडे लेकर 'जीतेगा, भई जीतेगा' के नारे लगाना। यानी चुनाव प्रचार इस हद तक भी आ गया दुनिया का सबसे बड़ा 'लोकतंत्र' कहे जाने वाले इस देश में। जहां तक

क्या जनता इसे समझने के लिये तैयार है? यथाप्रश्न यही है। अगर जनता सत्ता और शासन के शोषक एवं जनद्रोही स्वरूप को समझ ले तो फिर उसे इन चुनावों की हकीकत भी समझ में आ जायेगी। तब इन चुनावों से उसका मोहभंग हो जायेगा और वह इस बात को सोचने के लिए विवश हो जायेगी कि आखिर उसकी समस्यायें कैसे दूर हो सकती हैं।

आम जनता के हित का सवाल है, यह अनुभवसिद्ध बात है कि ऐसा किसी भी कीमत पर होने वाला नहीं। आज आम जनता लगातार बढ़ती महंगाई से तबाह है। गरीब आदमी को नमक के साथ पेट भर रोटी भी मिलना मुहाल हो गया है। ऐसे में लगभग हर उम्मीदवार के

समर्थन में उनके स्तर के अनुरूप 'स्टार प्रचारक' आये और लोगों को जम कर भाषण पिलाया। लेकिन महंगाई पर रोक कैसे लगेगी, सरकारी अस्पतालों का हाल कैसे सुधरेगा, जिनके सिर के ऊपर छत नहीं है, उन्हें छत मिलेगी या नहीं, गरीबों के बच्चे ढाबों पर बर्तन ही मांजते रहेंगे या सरकार उनके स्कूल में पढ़ने का भी बंदोबस्त करेगी, इसके बारे में भी किसी ने कुछ नहीं कहा। सरकारी महकमों में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, आम जनता को दिन-रात लूटने का जो अभियान चल रहा है, वह कैसे बंद होगा अथवा चलता ही रहेगा, इस संबंध में किसी भी उम्मीदवार ने कुछ भी कहने की जरूरत नहीं समझी। आम लोगों को नेताओं ने भेड़ मान लिया है। लोग कहते हैं कि अरे, अभी हवा इसकी है। इसे ही वोट दे, वरना वोट बर्बाद हो जायेंगे। जिसका ज्यादा प्रचार, जिसने अच्छा 'खिलाया-पिलाया', हवा उसी की बनती है। बहुत से लोग जाति के आधार पर

वोट दे देते हैं। दलित होगा तो वोट इसे देगा और जाट हुआ तो उसे। यह फार्मूला वोट की राजनीति में खूब चलता है। जनता को रोटी, सिर पर छत, पानी, बिजली और चलने को सड़क चाहिए, पर यह सब उसे मिलना नहीं है, चाहे वोट किसी को दे। यहां तो रोटी के साथ पानी भी खरीद कर पीने की नौबत है। सड़कों का इतना बुरा हाल है कि थोड़ी भी बरसात हो जाये तो उस पर नाव चलाई जा सकती है। बिजली की आंख-मिचौनी चलती ही रहनी है। गत पांच वर्षों में आम जनता के हित का कोई काम नहीं हो पाया, थोथी घोषणायें बहुत हुईं। शासन ने न जाने कितनी परियोजनाओं की नींव डाली और शिलान्यास किये। पर शिलान्यास के बाद एक भी योजना पर काम शुरू नहीं हो पाया। अब चुनाव प्रचार के दौरान थोक के भाव से 'विकास' की घोषणायें फिर कर दी गईं।

- शेष पेज 2 पर